निबंध-

मृत्युदंड: मानवीय या अमानवीय

" जिस समाज को आपराधिक आचरण के लोगों के प्रति न तो क्रोध और न ही रोष व्याप्त होता है, ऐसा समाज प्रभावशाली कानून की पद्धति का लाभ मुश्किल से ही प्राप्त कर सकता है"- सामण्ड

भारतीय समाज में दंड की अवधारणा पुरानी है| मृत्युदंड भी दंडों के विविध स्वरूपों में से एक है और इसे सबसे बड़ा दंड माना जाता है| भारतीय दर्शन में दंड की अवधारणा इसलिए है कि इससे भय उत्पन्न होता है और यही वह हमें अपराधों से दूर रखता है| हम अगर ईश्वर से भी डरते हैं तो इसलिए कि वह सर्वशक्तिमान है| इसलिए उसे सबसे बड़ा दंडअधिकारी माना जाता है| यदि दंड की व्यवस्था न हो तो जंगल राज कायम हो जाए तथा समाज निरंकुश और स्वच्छंद हो जाए| भय मुक्त और सुरक्षित समाज के लिए ही दंड की व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है| भारतीय दर्शन के मानव समाज में व्यक्ति के विकास की अवधारणा के साथ-साथ दंड दर्शन भी 'आंख के बदले आंख' से शुरू होकर दूसरों को सबक सिखाने तथा अपराधी को अपराध बोध कराने और उसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबल देकर सुधारने तक की यात्रा का वर्णन है|

वर्तमान में मृत्युदंड पूरे विश्व में जनमानस के निशाने पर बना हुआ है| आज 58 देश में इस सजा को समाप्त कर दिया गया तथा 16 देशों ने अपनी विधि पुस्तकों से इस शब्द को निष्कासित कर दिया है| भारत, अमेरिका,चीन, रूस जापान आदि और सांस्कृतिक विकास से संपन्न देशों में विधिवेत्ताओ और जनमानस के विरोध के बावजूद मृत्युदंड बरकरार है | वस्तुतः मृत्यु दंड का औचित्य भारतीय ही नहीं, विश्व न्याय शास्त्र का एक विवादस्पद प्रकरण है| क्योंकि मृत्युदंड के कारण मे तो बर्बरतापूर्ण हत्या है ही,किंतु उसकी परिणिति में भी एक मानवीय व्यवस्था द्वारा नियोजित मानव वध है | आज संपूर्ण विश्व इस मुद्दे को चर्चा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानता है पूरे विश्व में मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में दो तरह की विचारधाराए विद्वान है| जिनका निष्पक्षता पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए|

मृत्युदंड की अपराधगत पृष्ठभूमि :-

भारतीय दंड संहिता 1860 में लार्ड मैकाले ने मृत्युदंड के सात बिंदु निर्धारित किए है कि- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजद्रोह, बेगुनाह को फांसी दिला देने वाली झूठी गवाही देने, हत्या, मानसिक रूप से असंतुलित| नबालिंग को आत्महत्या के लिए उकसाने, हत्या सहित डकैती करने तथा आजीवन करावास भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या के प्रयास में मृत्युदंड दिया जा सकेगा | इसके पूर्व उन्होंने लिखा-" हम पूरी तरह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मृत्युदंड को

Scanned with OKEN Scanner

बहुत दुर्लभ मामलों में ही लागू किया जाएगा | हमारा प्रस्ताव है कि हम इसे वही लागू करना चाहेंगे जहाँ या तो हत्या का मामला हो या राजद्रोह का |" स्वतंत्रता के बाद में संसद में 1956, 1958 तथा 1962 में निजी विधेयकों द्वारा मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए, अधिवक्ताओं के संगठन ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया किंतु मृत्युदंड को हटाने का विधेयक पारित नहीं हो सका| विधि आयोग की 35 की रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया कि यह देश वर्तमान परिस्थितियों में मृत्युदंड समाप्त करने के प्रयोग का जोखिम नहीं मोल ले सकता | भारत में मृत्युदंड के पक्ष में सबसे प्रभावशाली तर्क 38 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है कि सामान्यतः हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है तथा न्याय क्षेत्र से संबंधित लोग न्यायाधीश, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी की बहुमत से राय है कि भारत में मृत्युदंड के जरिए समाज में सकारात्मक सोच विकसित हुआ है और अपराध की प्रवृत्ति पर रोक लगी है| आजीवन कारावास की प्रभाविता के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट नहीं हो सके हैं तथा दुनिया के अन्य बड़े देशों में भी मृत्युदंड को समाज की शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना गया है|

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क:-

- मृत्यु का भय ही सबसे अधिक भयभीत करता है, जो समाज को सही और अनुशासित रखता है और जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगता है|

- मृत्युदंड, जो कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत पर आधारित उदाहरण स्वरूप दिया गया दंडादेश होता है, उससे लोगों के मन में वह व्याप्त रहता है और जो जघन्य और गंभीर अपराधों की रोकथाम करता है|

- भारत में, " दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम" प्रकरणों में ही मृत्युदंड दिया जाता है और उनमें भी सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्युदंड के निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है|

- जघन्य और आदतन अपराधियों के लिए सुधारात्मक सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता नगण्य मात्र है एवं उनके लिए मृत्युदंड ही एकमात्र सही उपचार है |

- मृत्युदंड की व्यवहारिक उपयोगिता होने के कारण यह दंड स्वर्णातीत काल से आज तक विद्यमान है इससे जघन्य अपराधों में कमी आती है |

- यदि कानून अपराधियों को समुचित और पर्याप्त सजा नहीं देगा तो व्यथित पक्षकार, कानून हाथ में लेकर अपराधियों को अपने स्तर पर सजा देना आरंभ कर देंगे, जिससे अराजकता फैलने का प्रबल अंदेशा व्याप्त हो जाएगा | अतः मृत्यु दंड को एक आवश्यक बुराई मान लेने पर भी इस समाज की आवश्यकता कहा जा सकता है|

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यदंड के विपक्ष में तर्क:-

- जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत एक अमूल्य भेंट है, जिसे मनुष्य द्वारा बनाई गई पद्धति द्वारा नहीं छीना जा सकता है |

- मृत्युदंड एक बर्बर और अमानवीय सजा है, जो जंगली युग की याद दिलाती है,जिसमें 'खून के बदले खून', 'जिंदगी के बदले जिंदगी', व 'आंख के बदले आंख' का प्रचलन था |

- आधुनिक समाज में दंड व्यवस्था के सुधारात्मक सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें मानवीय, नैतिक और धार्मिक आधारों पर मृत्युदंड की कटु आलोचना की जाती है, विशेषत: जबकि यह दंडादेश अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है|

- महात्मा गाँधी के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति का सुधार किया जा सकता है, परंतु मृत्युदंड के निष्पादन के पश्चात अपराधी के सुधार की सभी संभावनाएँ सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं |

- मृत्युदंड का आदेश परिवार के मुखिया पर अधिरोपित किया जाता है, लेकिन उसके मासूम और बेकसूर परिवारजन को भरण पोषण इत्यादि के अभाव में अनावश्यक सजा भुगतनी पड़ती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है|

- कुछ देशों में,कुछ दशांक पूर्व, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया था, जहां की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहां पर हत्या के अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है|

- गलती करना मानव स्वभाव है | यदि किसी, किसी न्यायाधीश की गलती के कारण, न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्युदंड का निष्पादन कर दिया जाता है तो ऐसी त्रुटि का कभी भी सुधार नहीं हो सकता है|

- भारतीय लोगों की जीवन शैली धर्म, नीति और अध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है जहां प्रतिशोध की अपेक्षा क्षमा का महत्व दिया जाता है अतः इस परिपेक्ष में मानवीय आधारों पर अन्य विकसित देशों की भांति पुनर्विचार करने की आवश्यकता है|

Scanned with OKEN Scanner

उपसंहार:-

भारत में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस बारे में भारतीय कानून आयोग का मानना है कि मृत्युदंड के प्रावधान का समाप्त करने का उचित समय अभी नहीं आया है| संसदीय समिति भी यह कह चुकी है कि देश में मृत्युदंड की व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए| देश की शीर्ष अदालत भी इस बाबत यह व्यवस्था दे चुकी है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए| राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है-" नफरत अपराधी से नहीं,अपराध से होनी चाहिए|" अतः मृत्युदंड का आधार अपराध की प्रकृति एवं उसकी जघन्यता को सामने रखकर ही देखकर जाना चाहिए | मृत्युदंड के मामले इतने वर्षों तक न लटकाया जाएँ कि दोषी की एक उम्र ही कारगर में गुजर जाए | इस परिप्रेक्ष्य में क्षमा याचिकाओं को भी मियादी बनाना होगा, ताकि एक समय सीमा में इसका निस्तारण शीघ्रता से हो सके| आज आवश्यकता न्याय व्यवस्था में सुधार की है,न कि मृत्युदंड को समाप्त किए जाने की| इसलिए दार्शनिक अरस्तू ने भी कहा है-" अति करना एक अवगुण है, मध्यम मार्ग अपनाना ही गुण है |"

Scanned with OKEN Scanner